Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ायालय उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

बकील चन्द पुत्र मनीराम जाति छिंपा निवासी 5 एम.सी. तहसील सूरतगढ।

किस्म मुकदमा 136 भू–राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या: 72 सन् 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.03.2024	आज यह पत्रावली प्रार्थी द्वारा जरिये वकील पेश करने पर पेशी में ली गई। बहस सुनी गई। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने बताया कि प्रार्थी के पिता मनीराम पुत्र प्रयागचन्द निवासी 5 एम.सी. के नाम से वाके चक 5 एम.सी. खाता संख्या 84/56 जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 जमाबन्दी 2077 (वर्ष 2021) मे पत्थर नम्बर 55/43, पत्थर नम्बर 55/50, पत्थर नम्बर 55/51, पत्थर नम्बर 55/58, पत्थर नम्बर 55/59 मे कुल 14.0180 है0 मे से 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड जमान्दी दर्ज है। सम्वत 2054 ता 62 की जमाबन्दी मे प्रार्थी के पिता की जाति छिंपा दर्ज थी। किन्तु जमाबन्दी ऑन लाईन करते समय प्रार्थी के पिता की जाति छिंपा के स्थान पर सैनी कर दी गई है। क्यो कि कुछ सहकाश्तकारो की जाति सैनी है। जो गलत है जिसे दुरूस्त किया जाकर जाति छिंपा का अंकन जमाबन्दी मे करने का आदेश दिया जावे। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो व रिपोर्ट पटवारी व तहसीलदार का अध्ययन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2054 ता 62 की चित्रप्रति मे जाति छिंपा अंकित है। परन्तु बाद की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 मे मनीराम पुत्र प्रयागचन्द की जाति सैनी दर्ज है। जो सहबन से अंकित किया जाना प्रकट होता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो व रिपोर्ट के आधार पर वर्तमान जमाबन्दी में मनीराम पुत्र प्रयागचन्द जाति सैनी के स्थान पर मनीराम पुत्र प्रयागचन्द जाति छिंपा दुरूस्त किये जाने के आदेश जारी किया जाना हम उचित समझते है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जमाबन्दी चक 5 एम.सी. सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 84/56 में अंकित मनीराम पुत्र प्रयागचन्द जाति सैनी के स्थान पर मनीराम पुत्र प्रयागचन्द जाति छिंपा दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। जमाबन्दी की अन्य समस्त प्रविष्टियां पूर्ववत रहेगी। तहसीलदार सूरतगढ़ के नाम तहरीर जारी हो। आदेश सुनाया गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	